TEN RUPEES — COURT FEE — भारत INDIA — दस रुपये

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्य प्रदेश.

र.अपील क्र.:- अपील 1047-I/07 सन् 2007

राजेन्द्र कुमार तनय रामगोपाल तिवारी
निवासी ग्राम खन्देवरा तहसील व जिला
छतरपुर म.प्र.. ..अपीलार्थी

बनाम

1. मुन्नादेवी वेवा स्व.गोविन्द प्रसाद तिवारी
साकिन खन्देवरा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
2. सरपंच ग्राम पंचायत मलपुरा रामकिशोर पटैरिया
ग्राम खन्देवरा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र... ..उत्तरवादीगण

क्रमांक RP2534
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 21.6.07 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील व नाराजगी आदेश दिनांक 28 मार्च 2007 जो न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर म.प्र. द्वारा अपील प्र.क्र. 589/अ-6/04-05 में पारित किया गया।

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

महोदय,

अपीलकर्ता राजेन्द्र कुमार सादर निम्नलिखित अपील प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं- कि स्वर्गीय श्री राजधर तिवारी के चार पुत्र हैं. रामगोपाल, काशीप्रसाद, गोविन्द प्रसाद एवं रामदयाल. अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार, रामगोपाल का पुत्र है गोविन्द प्रसाद के कोई संतान नहीं थी तथा वह अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार तिवारी को अत्याधिक स्नेह करते थे तथा अपीलकर्ता ही गोविंद प्रसाद की सेवा खुशामद आदि करता था इसलिये गोविन्द प्रसाद ने तिवारी ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति के एक अंश भाग जिसमें खसरा नम्बर 279/2 रकवा 0.160 हेक्टयर, 281/1 रकवा 0.599हे0 281/2 रकवा 0.146 हेक्टयर, 282/2 रकवा 0.451 हेक्टयर, एवं खसरा नम्बर 283 रकवा 0.202 हेक्टयर कुल किता पांच कुल रकवा 1.558 आरे स्थित हार मौजा खन्देवरा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

(Margin handwritten/stamp notes: "CF 2000", "1316107", "राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर आ.क्र. 1932", "कार्यालय ... प्रस्तुतकर्ता का नाम श्री रविन्द्र श्री वास्तव ... 2000", "राजेन्द्र कुमार तिवारी")

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1047–एक/07 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.2.14 समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री निखिल श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामगोपाल तिवारी निवासी ग्राम खन्देवरा तहसील व जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । सदस्य	
समय दोपहर 3.00 बजे	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री निखिल श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामगोपाल तिवारी निवासी ग्राम खन्देवरा तहसील व जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । सदस्य	
शाम 5.00 बजे	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री निखिल श्रीवास्तव एवं आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामगोपाल तिवारी निवासी ग्राम खन्देवरा तहसील व जिला छतरपुर को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (अशोक शिवहरे) सदस्य	